देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी

सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/kdgl/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 6 मार्च 2022

लाइनमेन की दबंगई!!!

बिजली का बिल कम करने की एवज मे हो रही हफ्ता-वसूली!!!

लाइनमेन की बात नहीं मानने वाले का आता है अधिक बिल, चालान करने,बिजली काटने तक की धमकी!!!

शाहपुरा तहसील, जयपुर के नवलपुरा,मनोहरपुर का है मामला

यह मामला जयपुर की शाहपुरा तहसील के गाँव नवलपुरा,मनोहरपुर का है,जहां की चिमन्यावाली ढाणी के आस-पास 400-500 लोग निवास करते है,इस ढाणी मे रहने वाले रतन लाल यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर बिजली विभाग के लाईनमेंन सुदामा की हफ्तावसूली की शिकायत दर्ज करवायी है,साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों पर भी इस लाईनमेन को शह देने का आरोप लगाया है|रतन लाल ने बताया कि बिजली विभाग के लाईनमेन सुदामा द्वारा विधयुत बिल निकालने की एवज मे 500 रुपए मांगे गए और मना करने पर दस-पंद्रह साल से 500-700 रुपए आने वाले बिल को 4738 निकाल दिया|साथ ही चालान करने की धमकी भी दी|रतनलाल ने इस मामले की शिकायत विभाग के एईएन अमित मिश्रा से भी की,लेकिन वह भी लाईनमेन का ही पक्ष लेते नजर आए|इतना ही नहीं दो-चार दिन बाद शिकायत की भनक लाईनमेन को लगने पर पर अपने अधिकारी के साथ रतनलाल के घर मे घुस गया और घर मे मौजूद 7 साल के बच्चे को चालान करने की धमकी देकर गया|जबकि उस समय घर पर कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था|इस घटना के बाद रतनलाल और उसके परिवार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय से लाईनमेन की कथित दादागिरी के विरुद्ध कार्यवाही करने और बिजली का बिल कम करने की गुहार लगाई है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

श्रीमान अशोक गहलोत,

मुख्यमंत्री,

राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः—**मेरी शिकायत पर लाईन मेन के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय मेरे खिलाफ पहुँचे चालान काटने लाईन मेन व विधुत विभाग** के उच्च अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत में निवासी **138 चिमन्यावाली ढाणी गॉव नवलपुरा, मु0 पो0 मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जयपुर** द्वारा निम्न प्रकार से आपत्तियॉ निम्न प्रकार से हैः—

बिन्दु संख्या—01— महोदय मेरे द्वारा **राजस्थान सम्पर्क 181 पर दर्ज शिकायत संख्या—032236612050124, 032236612048664 दिनांक 03.03.2022 को मेरे द्वारा शिकायत प्रस्तुत** की गयी है।

बिन्दु संख्या—2— दिनांक 03.03.2022 को मेरी शिकायत पर कार्यवाही करने के बजाय विधुत **विभाग मेरी ही शिकायत पर मेरे खिलाफ चालान भरने के** लिए **दिनांक 03.03.2022 को मेरे ही घर पर मेरे खिलाफ कार्यवाही करने मौके पर** पहुँचे। **मौके पर** कोई **भी सदस्य** मौजुद **नहीं था मौके पर बिना किसी को पुछे व बिना** अनुमति **के** विधुत **विभाग के** लाईन **मेन** सुदामा **व उच्च अधिकारी के साथ मेरे घर में घुसकर हर कमरे के फोटोग्राफ व बाडे में स्थित चक्की मोटर व बाथरूम के फोटोग्राफ लिये साथ में घर पर** मौजुद **7 साल के बच्चो को कहा है कि अपने पिता को कहना की शिकायत का अंजाम अब** भुगतो **व अब चालान भर के जा रहा हु जबकि मेरे द्वारा** विधुत **नियमों के** अनुसार **कोई चोरी मौके पर मौजुद नहीं है।**

बिन्दु संख्या—03—मेरे द्वारा बार बार राजस्थान सम्पर्क व लिखित में भी शिखायत की गई जिस पर शिकायत दिनांक 03.03.2022 पर विधुत विभाग लाईन मेन के **खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय मेरे खिलाफ कार्यवाही कर रहा है जो**

विधुत नियमों व अपने पद का दुरूपयोग विधुत विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा जो विभाग के नियमों के विरूद्व है।

बिन्दु संख्या–04–उक्त लाईन मेन सुदामा द्वारा मेरा बिधुत कनेक्शन के के. वाईसी नं–210555008955 के विधुत बिल निकालने की एवज में रूपये लेता है जिसका मेरे द्वारा उस दिन मौके पर मौजुद था तब मेरे द्वारा मना करने पर लाईन मेन द्वारा मेरे खिलाफ विधुत बिल 4750 रूपये का निकाला था जिसका मेने विरोध किया जो लाईन मेन ने मुझे दिनांक 02.03.2022 को धमकी दी की मैं तेरे खिलाफ एक से दो दिन में तेरे खिलाफ चालान की कार्यवाही करवाहुॅगा। जो लाईन मेन द्वारा एक दिन पश्चात दिनांक 03.03.2022 को मेरे घर पर चालान भरने मौके पर पहुॅचे।

बिन्दु संख्या–05– मेरे द्वारा विधुत कार्यालय मनोहरपुर व शाहपुरा में मौखिक व जरिये टेलिफोन व राजस्थान हैल्पलाईन 181 पर दर्ज शिकायत के माध्यम से अवगत करवाया गया लेकिन विधुत विभाग द्वारा लाईन मेन की मिली भगती से मेरे खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जिनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाकर मुझे पीडित (किसान) को न्याय दिलाने की कृपा करें।

भवदीय

रतन लाल यादव
निवासी–138 चिमन्यावाली ढाणी
गॉव–नवलपुरा वाया–मनोहरपुर,
जयपुर।
मो.नं–8005920451

प्रतिपिलीः–1. माननीय मंत्री विधुत विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को दोषी लाईन मेन व मिलीभत उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही

करने बाबत।

2. विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विधुत), राजस्थान जयपुर को कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. एईन, मनोहरपुर, शाहपुरा, जयपुर को दोषी कर्मचारी/अधिकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत।

रतन लाल यादव
निवासी–138 चिमन्यावाली ढाणी
गॉव–नवलपुरा वाया–मनोहरपुर,
जयपुर।
मो.नं–8005920451